डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

प्र0न0 — 111/2024

उनवान : —

1. इन्द्रसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. लखमीचंद पुत्र महावीर जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया व वकील प्रतिवादीगण श्री वेदप्रकाश की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भिरानी के खाता सं0 322/311 के मु0 न0 416 के किला न0 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल रकबा 2.5300है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम 67/100 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 महावीर अकेले के बजाय वादीगण सं0 1 इन्द्रसिंह व वादीगण सं0 2 कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं0 1 महावीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:54:01 IST
Reason: SelfAttested